

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-11/19/2002/नियम/चार  
प्रति

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर, 2002

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,  
समस्त कमिश्नर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- राज्य के शासकीय सेवकों की राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमो/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना।

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक जी 25/25/95/सी/चार, दिनांक 31 जुलाई, 1995.

---

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को बाह्य सेवा में नियुक्ति पर रहने के दौरान उन्हें वही वेतन प्राप्त होगा जो स्थानांतरण न होने पर राज्य शासन के अधीन मिलता।


2. तदनुसार संदर्भित ज्ञापन के साथ भेजी गई सामान्य निबंधन और शर्तों के अंग्रेजी और हिन्दी प्रारूप की कंडिका(2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाये :-

" During the period of foreign service the deputationist shall receive from the foreign employer pay as would have been admissible under the State Government from time to time, but for this transfer "

" अपनी बाह्य सेवा के अवधि के दौरान प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक बाह्य नियोजक से वही वेतन पाने का हकदार होगा जो उसे स्थानांतरण न होने की स्थिति में राज्य शासन के अधीन समय-समय पर देय हो। "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,



(पी.सी.वर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर, 2002

पृ. क्रमांक एफ-11/19/2002/नियम/चार

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।

- सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।  
 सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
  7. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
  8. निज सचिव/निज सहायक----- मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
  9. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
  10. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
  11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
  12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
  13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
  14. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
  15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
  16. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
  17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षणशाखा/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय।
  18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
  19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
  20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
  21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
  22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
  23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अप्रेषित।

*Vinod Kumar Shukla*  
 27/11/2002

(विनोद कुमार शुक्ल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग